न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –91/2007 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2007/00007

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

---प्रार्थी.

बनाम

1. मथुरालाल आत्मज सालगा तेली निवासी मवासा (मृतक) जर्ये का0मु0–
1/1 रतनलाल (मृतक) आत्मज स्व0 मथुरालाल कायम मुकामान–
1/1/1 जयकिशन आत्मज स्व0 रतनलाल
1/1/2 देवेन्द्र आत्मज स्व0 रतनलाल
1/1/3 श्रीनाथ आत्मज स्व0 रतनलाल
1/1/4 आशा आत्मज स्व0 रतनलाल
1/2 गोविन्दलाल (मृतक) आत्मज स्व0 मथुरालाल
1/2/1 महावीर आत्मज स्व0 गोविन्दलाल
1/2/2 रमेश आत्मज स्व0 गोविन्दलाल
1/2/3 राजेश बाई पुत्री स्व0 गोविन्दलाल
1/2/4 मधु बाई पुत्री स्व0 गोविन्दलाल
1/2/5 सूरज पुत्री स्व0 गोविन्दलाल
1/2/6 मनभर पुत्री स्व0 गोविन्दलाल
1/2/7 गायत्री पुत्री स्व0 गोविन्दलाल
1/2/8 प्रेमबाई बेवा स्व0 गोविन्दलाल
1/3 घनश्याम आत्मज स्व0 मथुरालाल
1/4 लक्ष्मीचन्द आत्मज स्व0 मथुरालाल
1/5 जीतमल आत्मज स्व0 मथुरालाल
1/6 बिरधीबाई पुत्री स्व0 मथुरालाल
1/7 कलावती पुत्री स्व0 मथुरालाल

जाति कुम्हार निवासीगण कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 21 /05/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी मथुरालाल को ग्राम मवासा तहसील की आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 13.06.1981 को कृषि प्रयोजनार्थ छोटी पट्टी की भूमि आवंटन की गई थी । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की बकाया एवं ब्याज की राशि जमा नहीं कराई जाकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से यह प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त कराने हेतु मूल आवंटन पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । तामिली रिपोर्ट में आवंटी अप्रार्थी मथुरालाल के फौत होने पर कायम मुकामान की सूचना तहसीलदार लाडपुरा से ली गई, कायम मुकामान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । कायम मुकामान में से केवल अप्रार्थी नं0 1/1/1 जयकिशन एवं 1/2/2 रमेश दिनांक 29.4.2024 उपस्थित, हुए किन्तु न तो कोई अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ ओर ना ही जवाब प्रस्तुत किया तथा आगे तारीख पेशी दिनांक 14.5.2024 को उपस्थित नहीं हुए, अप्रार्थीगण को आवांजे लगवाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी मथुरालाल को ग्राम मवासा तहसील की आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 13.06.1981 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटित भूमि छोटी पट्टी की भूमि थी, जिसकी राशि आवंटी अथवा आवंटी के वारिसान द्वारा जमा नहीं करवाई गई है, जो आवंटन शर्तो की अवहेलना है । अतः आवंटी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को मवासा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 376 की रकबा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 13.06.1968 को आवंटी अप्रार्थी के हक में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, उक्त भूमि छोटी पट्टी की श्रेणी में आने से आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की राशि अदा करनी थी, किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कई नोटिस जारी किये, किन्तु आवंटी द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाने से मूल आवंटन पत्रावली के साथ आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, आवंटी फौत होने पर आवंटी के वारिसान को नोटिस जारी किये गये, किन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । इससे यह जाहिर आया है कि उक्त आवंटित भूमि में उन्हें कोई रूचि नहीं है, प्रकरण के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । पटवारी हल्का मवासा की रिपोर्ट दिनांक 14.9.2007 अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 15 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 761 रकबा 0.46 होना बताया है जो रजाक पुत्र अब्दुल मुसलमान के गैर खातेदारी में दर्ज होने से नामा0 सं0 254 दिनांक 21.3.2006 से खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । इस प्रकार हम यह पाते है कि आवंटी को आवंटित भूमि छोटी पट्टी की भूमि की कीमत राशि मय ब्याज अप्रार्थी द्वारा जमा नहीं कराई जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मवासा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 376 की 15 बिस्वा भूमि का आवंटी अप्रार्थी के हक में दिनांक 13.06.1981 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है ।

6. निर्णय आज दिनांक 21.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा